न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 180/2022

उनवान

महावीर दत्तक पुत्र लालू उर्फ लादू जाति खारोल निवासी ग्राम रामसर नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 13.5.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर में वादी के पूर्वज लालू उर्फ लादू पुत्र नारायण उर्फ कालू की खातेदारी/काश्तकारी की आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
6846	1–3–0	8218/10079	0.18
8589	4–0–0	8265	0.65
6582	1–13–0	8275/10080	0.26
6478	3–10–0	8790/10078	0.14

उपरोक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 443 से लादू पुत्र कालू के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। लादू उर्फ लालू पुत्र नारायण उर्फ कालू के नाम खातेदारी दर्ज नही की गयी। जबकि लादू उर्फ लालू पुत्र नारायण उर्फ कालू एक ही व्यक्ति है। लादू उर्फ लालू पुत्र नारायण उर्फ कालू के काई औलाद नही होने के कारण वादी को गोदपुत्र के रूप में स्वीकार कर गोदनामा निष्पादित कराया गया। इस प्रकार वादी ने दत्तक पुत्र की हैसियत से उक्त वाद वास्ते खातेदारी उद्‌घोषणा का पेश किया है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया [illegible] नामान्तकरण संख्या 443 दिनांक 20.5.1992 से साबिक खसरा नम्बर लादू पुत्र कालू के नाम [illegible] संलग्न वर्किग जमरबंदी में उक्त नामानतकरण का इन्द्राज [illegible] सिवासचक में दर्ज है। हाल जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर लादू पुत्र कालू के नाम [illegible] है। वादी ने लादू पुत्र [illegible] व लालू पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:23:06 IST
Reason: SelfAttested

नारायण दो एक ही व्यक्ति है, के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नही की है। गोदनामा व राजस्व रिकार्ड में भिन्नता है। भूमि लादू पुत्र कालू के नाम दर्ज है जबकि गोदनामें में लालू पुत्र नारायण दर्ज है। नाम की भिन्नता होने से वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी गोदनामा के आधर पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

–– वादी

2. आया राजस्व अभिलेख व गोदनामा में नाम भिन्ना–भिन्न होने से वाद खारिज योग्य है ?

–– राज0 पैरोकार

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। तथा वादी महावीर के बयान दर्ज करवाये। राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 व 2 :–</u>

उक्त दोनो तनकी एक दूसरे की पूरक होने के करण दोनो तनकी का विवेचन सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। वंर्किग खसरा नम्बर 6846 व 6478 तत्कालीन जमाबंदी में लालू पुत्र नारायण के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 743/18.7.92 से उक्त आराजी पर खातेदारी दर्ज हुयी वंर्किग खसरा नम्बर 6846 रकबा 1–18–0 विकय से अन्य व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज किया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 6582 व 6589 नामान्तकरण संख्या 443 से लादू पुत्र कालू के नाम नियमन की गयी। उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में लादू पुत्र कालू के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामें अनुसार लालू पुत्र नारायण ने वादी को जरियें गोदनाम दत्तक ग्रहण किया था। वादी का यह भी कथन है कि लादू उर्फ लालू व कालू उर्फ नारायण एक ही व्यक्ति है। किन्तु अपने कथन के समर्थन में वादी द्वारा कोर्द ठोस दस्तावेज पेश नही किये है। लादू व लालू को आराजी मुतनाजा भिन्न नाम से आवंटन/नियमन हुयी वादी द्वारा उक्त आवंटन/नियमन के दस्तावेज भी पेश नही किये है। साथ ही वादी द्वारा ग्राम पंचायत का शजरा, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि भी पेश नही किये है। वादी मात्र मौखिक कथनों के आधार पर वर्तमान इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण बताते हुये उसे दुरूस्त करवाना चाहता है। किन्तु अभिलेखिय दस्तावेज के अभाव में वादी के कथनों की ताईद नही होती है। राजस्व रिकार्ड व गोदनामें में नाम भिन्न–भिन्न है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन किया गया है। वादी ने प्रकरण में स्वतंत्र गवाह के बयान भी पेश नही किये है। अतः तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8218/100790 रकबा 0.18, 8265रकबा 0.65, 8275/100800 रकबा 0.26 व 8790/100780 रकबा 0.14 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:23:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रोहित धवन बनाम अशोक

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 119/2017
पेश करने की दिनांक – 04.09.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8218/100790 रकबा 0.18, 8265 रकबा 0.65, 8275/100800 रकबा 0.26 व 8790/100780 रकबा 0.14 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:23:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद